नगर निगम– पटना मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं भागलपुर के पदाधिकारियों के साथ दिनांक– 09.01.2018 को नगर निगम की भूमि एवं उसके उपयोग के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक– 09.01.2018 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक– 09.01.2018 को स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत नगर निगम– पटना, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं भागलपुर की निर्धारित बैठक के क्रम में इन नगर निगमों में नगर निगम की उपलब्ध भूमि एवं उसके उपयोग विषय पर भी चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा भूमि की विवरणी उपलब्ध करायी गई, जिसमें भूमि का वार्डवार खाता, खेसरा, Location, भूमि का स्वरूप, रकबा तथा वर्त्तमान उपयोग का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध भूमि का कुल रकबा 24.44 एकड़ प्रतिवेदित है। अन्य नगर निगमों द्वारा भूमि की विवरणी उपलब्ध नहीं करायी गई। पटना नगर निगम के अपर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि चारों अंचल से भूमि की विवरणी प्राप्त की जा रही है।

2. चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया नगर निगमों की भूमि, विशेष कर रिक्त भूमि के त्वरित उपयोग की आवश्यकता है अन्यथा भूमि के अतिक्रमण होने का खतरा रहता है। निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व चारो नगर निगम द्वारा भूमि की विस्तृत विवरणी उपलबध करायी जाय, जिसमें खाता नं०, खेसरा नं०, भूमि का Location, (प्रधान मुख्य सड़क/मुख्य सड़क/अन्य सड़क) वर्त्तमान में हो रहे उपयोग, भूमि का स्वरूप, रकबा, कोई विवाद हो तो, पूर्व की भूमि पर प्रस्तावित उपयोग, अभ्युक्ति का उल्लेख हो।

3. परती भूमि के उपयोग के संबंध में भी चर्चा के दौरान विचारोपरांत यह सहमति बनी कि आज के परिप्रेक्ष्य में कई आवश्यक जनोपयोगी कार्य हैं, जिनका निष्पादन उक्त परती भूमि के उपयोग से संभव है। प्रथम वरीयता के कार्यों में Composting Pit का निर्माण, जलापूर्ति के लिए जलमीनार का निर्माण, Storm Water Drainege हेतु Sump House का निर्माण, Public/Comnunity Toilets का निर्माण आदि। द्वितीय वरीयता के कार्यों में Affordable Housing निर्माण, Slum rehabilitation, Vending Zone का निर्माण आदि तृतीय वरीयता में पार्क निर्माण, Commercial Complex निर्माण आदि का कार्य भूमि के Location के अनुसार कराया जा सकता है। यह आवश्यक है कि नगर निगम अपने रिक्त/परती भूमि को चिन्हित कर नापी कराकर उसका Boundary Wall अपनी निधि से बनवाए ताकि अतिक्रमण नहीं होने पाए।

4. बैठक में चर्चा के उपरांत यह निदेश दिया गया कि स्मार्ट सिटी योजना के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार उक्त बैठक के साथ इस विषय पर भी प्रत्येक माह के प्रथम एवं चतुर्थ मंगलवार को बैठक होगी। अगली बैठक के पूर्व कंडिका– 2 के अनुसार भूमि की विवरणी तथा कंडिका–3 के अनुसार भूमि के उपयोग के संबंध में कार्य योजना तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय तथा अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लें।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

11/1/2018

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/वि०स०–17–23/2017 316 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना,दिनांक– 11/01/18

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, नगर निगम– पटना, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं भागलपुर/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/1/2018

सरकार के प्रधान सचिव।